राजस्थान–सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी, भीलवाड़ा

(सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005)

पीठासीन अधिकारी आशीष मोदी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 10/2023 अपील सू.प्र.

उनवान

श्री नारायण गुर्जर पुत्र जवारा गुर्जर निवासी रतनपुरा, तहसील आसीन्द, जिला भीलवाड़ा ––अपीलार्थी	**बनाम**	1. लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) भीलवाड़ा 2. लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, आसीन्द जिला भीलवाड़ा ––प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

उपस्थित :–प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधि।

निर्णय

दिनांक :03.03.2023

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, आसीन्द, जिला भीलवाड़ा के विरूद्ध दिनांक 24.01.2023 को प्राप्त हुआ जिसमें अपीलार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अंतर्गत निर्धारित शुल्क राशि 10/– रूपये का पोस्टल ऑर्डर संख्या 59 एफ 195538 के साथ एक आवेदन दिनांक 12.12.2022 को लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन), भीलवाड़ा को प्रेषित किया गया, किन्तु आवेदन में वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, आसीन्द से संबंधित होने से उक्त आवेदन लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन), भीलवाड़ा द्वारा अधिनियम की धारा 6 (3) के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, आसीन्द को अंतरित कर दिया गया, किन्तु सूचना प्राप्त नहीं हुई।

प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में दिनांक 31.01.2023 को पंजीबद्ध की जाकर अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थीगण को सूचना पत्र जारी किये गये। अपीलार्थी द्वारा परिकथन प्रस्तुत किया गया। प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन), भीलवाड़ा द्वारा कार्यालय के पत्रांक 20048 दिनांक 17.02.2023 से जवाब प्रस्तुत कर अवगत कराया गया कि अपीलार्थी/प्रार्थी के आवेदन में वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, आसीन्द, जिला भीलवाड़ा से संबंधित होने से उक्त आवेदन सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के तहत उपखण्ड अधिकारी, आसीन्द को अंतरित कर दिया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, आसीन्द, जिला भीलवाड़ा द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः अपीलार्थी की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, आसीन्द, जिला भीलवाड़ा को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा वांछित सूचना कार्यालय में उपलब्ध रेकॉर्ड के आधार पर निर्णय दिनांक से 15 दिवस में नियमानुसार उपलब्ध कराते हुए पालना से इस न्यायालय को अवगत करावें। निर्णय की प्रति उभयपक्षकारान को प्रेषित की जावें।

आदेश आज दिनांक 03.03.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर जारी किया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

(आशीष मोदी)
जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपीलेट अधिकारी
भीलवाड़ा

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा